फर्द अहकामे

प्रकरण सं० 26/2[illegible]

श्री....रामु.... बनाम श्री....राजस्थान राज्य....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्[illegible] अह[illegible] हुक[illegible]
	24.11.25 पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष ... पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त/ अवकाश में है। पत्रावली वास्ते आदेश के पेश हो। दिनांक 08.1.26 आदेश से रीडर	
8.1.26	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप। प्रकरण में T.D.R. कमीशन की रिपोर्ट प्राप्त। पत्रावली वास्ते ~~जरिये~~ नक्शा मौका रिपोर्ट दि 15.1.26 को पेश हो।	
15.1.26	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप। परिवादार सरकार उप। पत्रावली वास्ते नक्शा दि 20-1-2026 को पेश हो।	
20.1.26.	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्रार्थी अनु.। अनु.। वादी/प्रार्थी भी अनु.। प्रकरण में वकील वादी/प्रार्थी को [illegible] वक्त 11 से [illegible] कर तीन बार आवाजें लगवाई गई, लेकिन उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। वकील वादी व वादी के अनुपस्थित रहने से प्रकरण को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नम्बर से कम करवाकर दाखिल दफ्तर हो।	